



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 696 राँची, सोमवार, 28 अक्टूबर, 2024 (ई०)

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

11 जून, 2024

विषय:- राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड), राँची का नाम राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राँची करने एवं स्वायत्तता प्रदान करने के संबंध में।

संख्या-2101--राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हेहल, राँची की स्थापना विगत् सन् 1954 ई० में भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय (सामुदायिक विकास विभाग) के अंतर्गत "Development and Study Centre" के नाम से हुआ था। तत्पश्चात् विगत् सन् 1958 ई० में "Orientation and Study Centre" नामक एक अन्य संस्थान की स्थापना भी हुई थी। साथ ही सन् 1983 ई० में इन दोनों संस्थानों को एकीकृत कर "Tribal Orientation and Study Centre" के रूप में एक अन्य संस्थान को स्थापित किया गया।

2. तदनन्तर 01 अप्रैल, 1967 को उपर्युक्त संस्थान का हस्तान्तरण भारत सरकार के द्वारा तत्कालीन बिहार सरकार को किया गया था। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संस्थान के हस्तान्तरण के पश्चात् इसका नामाकरण "सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान" के रूप में हुआ। सन् 1984 ई० में संस्थान का चयन बिहार प्रांत के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान के रूप में हुआ था और इसका पुनः नामकरण "बिहार ग्रामीण विकास संस्थान" के रूप में किया गया। बिहार प्रांत के पुनर्गठन एवं विगत् दिनांक 15.11.2000 को झारखण्ड प्रांत के गठन के उपरांत यह संस्थान अपने वर्तमान स्वरूप "राज्य ग्रामीण विकास संस्थान" को प्राप्त किया है।

इसी प्रकार 2015 में NIRD एवं पंचायती राज विभाग में जो बवससवुनपनउ हुआ है, उसमें भी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का नामकरण State Institute of Rural Development & Panchayati Raj करने एवं उसके स्वायत्तशासी बनाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार भारत सरकार के अपर सचिव द्वारा राज्यों को पत्र भी लिखा गया है।

पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक-07.08.2017 के द्वारा Strengthening/Establishment of State Institute of Rural Development (SIRDs) and Extension Training Centres (ETCs) के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त पत्र की कंडिका-4 (ii) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज में प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय Apex Training Institute घोषित किया जाना है।

3. यद्यपि इस संस्थान से ग्रामीण विकास विभाग के अनेकों कार्यक्रमों एवं अभियानों के लिए प्रशिक्षण, मूल्यांकन इत्यादि कराने की आवश्यकता होती है। एक सरकारी संस्थान होने के नाते विभिन्न प्रक्रियात्मक कार्रवाईयों को पूरा करने से निर्णय में त्वरन नहीं पाया गया है। फलस्वरूप वर्तमान स्वरूप में संस्थान राज्य सरकार की उक्त जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है एवं कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अन्यत्र व्यवस्था करनी पड़ रही है। वर्तमान में संस्थान के काफी पद खाली हैं एवं संस्थान आवंटित राशियों का भी पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। जैसा कि पूरे देश में देखा गया है कि स्वायत्तशासी संस्थान का स्वरूप दिये जाने पर एतद् विषयक निर्णय त्वरित रूप से लिया जाना संभव हो सका है। फलस्वरूप संबंधित संस्थान अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाने में ज्यादा सक्षम साबित हो पाई है। यह अपेक्षा की जाती है कि संस्थान स्वायत्तशासी होने पर ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों की भी प्रशिक्षण, मूल्यांकन, अध्ययन, शोध विषयक जरूरतों को पूरा करने हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान के लिए भी एतद् विषयक कार्य संस्थान कर पायेगा, जिससे कि शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण विषयक संस्थान का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों को भी उनके कार्यों में त्वरन एवं त्वरित निर्णय हेतु स्वायत्तशासी संस्था के रूप में गठित किया गया है।

4. भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक- 07.08.2017 के आलोक में "राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड)" का नाम परिवर्तित कर "राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान करने एवं इस संस्थान को ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के लिए राज्य स्तर पर शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान

घोषित किए जाने का प्रस्ताव उपस्थापित किया गया। पंचायती राज अन्तर्गत स्थापित प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर आवश्यकतानुसार राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान से सहयोग ले सकेगी। पूर्व से संचालित राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) का नाम राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान किये जाने के उपरान्त सर्ड अलग से अस्तित्व में नहीं रहेगा।

शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (Apex Training Institute) के रूप में राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में पूर्व से संचालित सर्ड एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थापित (E.T.C.; Extension Training Center) के रूप में नामित संस्थान रहेंगे।

राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के अस्तित्व में आने के पश्चात् भी पंचायती राज विभाग अन्तर्गत पूर्व से संचालित सभी प्रशिक्षण संस्थान अस्तित्व में रहेंगे।

5. राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान को स्वायत्तता प्रदान करने हेतु संस्थापन प्रलेख/नियमावली के मुख्य तत्त्व निम्नवत् हैं -

(i) सदस्यता:- सोसायटी की अधिकतम सदस्य संख्या 27 होगी। निम्नांकित पदेन सदस्य होंगे:-

ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्रीय महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थानय महानिदेशक या निदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थानय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभागय योजना विभागय वित्त विभागय सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभागय श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभागय ग्रामीण विकास विभागय पंचायती राज विभागय महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभागय मनरेगा आयुक्तय निदेशक, पंचायती राज निदेशालयय निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, झारखण्ड सरकार।

विभिन्न वर्गों के सदस्यों की श्रेणीवार संख्या निम्नवत् होगी:-

(क) पंचायती राज संस्थान (50% महिला):- दो जिला परिषद् के अध्यक्ष, दो प्रमुख तथा राज्य के विभिन्न प्रमण्डलों से चक्रानुक्रम से दो मुखिया;

(ख) स्वैच्छिक/सिविल सोसायटी:- ख्याति प्राप्त निबंधित गैर सरकारी संगठन या सिविल सोसायटी के दो सदस्यों जो ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं संबंधित सेक्टरों से सम्बद्ध हों।

(ग) कॉर्पोरेट सेक्टर:- दो प्रतिनिधि जो ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थानों के क्रियाकलापों, कौशल विकास एवं सी0एस0आर0 क्रियाकलाप से सम्बद्ध हों।

(घ) व्यक्तिगत:- दो सदस्य (50% महिला) जो सोसायटी के दृष्टि एवं उद्देश्य के विकास के लिए समर्पित/प्रतिबद्ध विशेषज्ञ जिनके पास पर्याप्त अनुभव हों।

गैर-पदेन सदस्यों का चयन कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(ii) सामान्य परिषद्:- सामान्य परिषद् सोसायटी के सभी सदस्यों को मिला कर गठित की जाएगी। सामान्य परिषद् की बैठक छः माह में करने का अधिकार रहेगा। लेकिन आवश्यकतानुसार यह बैठक किसी समय आयोजित की जा सकेगी। सामान्य परिषद् के सभापति-मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग एवं उपाध्यक्ष-सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राँची होंगे। सामान्य परिषद्, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के संचालन हेतु नीति निदेशन एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा तथा बजट, अंकेक्षण, लेखा, वार्षिक प्रतिवेदन एवं सोसायटी के संस्थापन प्रलेख एवं नियमावली में संशोधन एवं उप विधियाँ इत्यादि के गठन पर झारखण्ड सरकार के अनुमोदन से निर्णय हेतु जिम्मेवार होंगे।

(iii) कार्यकारी परिषद्:- कार्यकारी परिषद् राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान की कार्यपालक निकाय होगी, जिसके अध्यक्ष सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राँची होंगे। उक्त परिषद् के अन्य सदस्य मनरेगा आयुक्तय मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, Jharkhand State Livelihood Promotion Society; मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, Jharkhand State Watershed Mission, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक अथवा उसके महानिदेशक द्वारा नामित प्रतिनिधि, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का एक पदाधिकारी (संयुक्त सचिव एवं उनसे अन्यून), प्राचार्य, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हेहल एवं आंतरिक वित्तीय परामर्शी, ग्रामीण विकास विभाग प्रतिनिधि होंगे। सामान्य परिषद् में नामित दो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ भी कार्यकारी परिषद् के सदस्य बनाये जाएंगे। निदेशक, सर्ड एवं पी0आर0 इसके सदस्य सचिव होंगे। इसकी बैठकें तीन माह से अनधिक अन्तराल पर आहूत की जाएंगी। इन बैठकों के लिए एक तिहाई सदस्य कोरम गठित करेंगे। कार्यकारी परिषद् सोसायटी की मुख्य कार्यपालक निकाय होगी, जिसके जिम्मे प्रशिक्षण कैलेण्डर, मोड्यूल, निधि का अनुमोदन, संस्थान के संचालन के निमित्त वांछित कार्य जैसे -बजट, लेखा एवं अंकेक्षण, पद सृजन, नियुक्ति, सेवा शर्तों का विनियमन इत्यादि संपादित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त संस्थान के अन्य क्रियाकलापों से संबंधित सभी कार्रवाईयाँ जैसे-अन्य संस्थाओं से करार करना, दान लेना, कार्यालय, प्रयोगशाला, छात्रावास आदि संरचनाएँ प्रारंभ एवं बंद करना, चल एवं अचल संपत्ति का सृजन, अधिग्रहण, प्रशिक्षण, सेवा शुल्कों इत्यादि का निर्धारण एवं संस्थान के सर्वांगीण संचालन संबंधी सभी वांछित नीतिमूलक कार्यपालक कार्य कार्यकारी परिषद् द्वारा संपादित किए जाएंगे।

(iv) स्थायी परिषदें:- संस्थान के क्रियाकलापों के नियमित संचालन हेतु दो स्थायी परिषदें ; (Statutory Councils) यथा वित्त विषयक, स्थायी परिषद् एवं नियुक्तियाँ, स्थापना विषयक स्थायी परिषद् गठित की जाएँगी एवं इनके द्वारा नामानुरूप कार्य संपादित किए जाएंगे।

(v) सोसायटी की निधियाँ:- सोसायटी की निधियों में झारखण्ड सरकार एवं अन्य सरकारों द्वारा दिये गये अनुदान, विदेशी संस्थाओं से प्राप्त दान एवं योगदान सोसायटी द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्राप्त सेवा शुल्क से आय एवं अन्य bonafide श्रोतों से प्राप्त आय शामिल होगी, जिसका उपयोग

संस्थान के क्रियाकलापों के संचालन के लिए सभी प्रकार के आवर्त्ती एवं अनावर्त्ती व्यय/वित्तीय भार सहित अतिरिक्त निवेश, उधार देने अथवा बंधक रखने, कॉरपस निधि, सुरक्षित निधि इत्यादि गठित करने हेतु सोसायटी कार्रवाई कर सकेगी।

(vi) परिसम्पत्तियाँ/देनदारी:- संस्थान की सभी चल/अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं परिरक्षण का पूर्ण दायित्व संस्थान का होगा तथा किसी भी चल अथवा अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण हेतु सरकार की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सोसायटी की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जाएगी। सरकार से प्राप्त राशि का संचालन खाता के माध्यम से किया जायेगा। अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को बैंक खाता में रखा/उपयोग किया जा सकेगा। सोसायटी द्वारा अपनी वित्तीय नियमावली का गठन होने तक झारखण्ड वित्तीय नियमावली के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

(viii) लेखा एवं अंकेक्षण:- सोसायटी के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन के साथ अंकेक्षित लेखा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सामान्य परिषद के अंगीकरण के लिए कार्यकारी परिषद अनुमोदित एवं अनुशंसित किया जायेगा। सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदित अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा अंकेक्षित लेखा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को राज्य विधानसभा में उपस्थापित करने हेतु भेजा जाएगा। इसकी एक प्रति सीधे ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली को अग्रसारित किया जायेगा।

(viii) वार्षिक प्रतिवेदन:- सोसायटी के कार्यों के अंकेक्षित लेखा एवं क्रियाकलाप के प्रतिवेदन के साथ मिलाकर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, जिसे सामान्य परिषद् से अनुमोदन पश्चात् ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से राज्य विधान सभा में उपस्थापित किया जाएगा। इसकी प्रति निबंधन प्राधिकार को उपलब्ध करायी जाएगी।

(ix) संस्थापन प्रलेख/नियमावली में संशोधन:- सरकार के अनुमोदन से सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के प्रावधानों अन्तर्गत सोसायटी अपने स्थापना के उद्देश्यों को आंशिक या पूर्ण रूप से परिवर्तित, विस्तारित या कम कर सकती है तथा किसी अन्य सोसायटी के साथ विलयन कर सकती है, बशर्ते कि इसके लिए सदस्यों के बहुमत ने मतदान किया हो।

(x) संस्थान के कर्मी:- पूर्व से संचालित राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (प्रस्तावित राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान) के वर्तमान कर्मचारी सोसायटी में सेवानिवृत्ति पर्यन्त पद पर कार्यरत रहेंगे एवं इस निमित्त उनके द्वारा धारित पद उनकी सेवानिवृत्ति तक चालू रखे जायेंगे तथा तत्पश्चात् स्वतः समाप्त हो जायेंगे। उनपर सरकारी कर्मियों से संबंधित सेवा नियम लागू होंगे।

सोसायटी के गठन पश्चात् संस्थान के कर्मियों की संख्या, पदों का सृजन/समाप्ति, सेवाशर्तें तथा अन्य महत्वपूर्ण आवर्त्तक दायित्वों के सृजन कार्यकारी परिषद की अनुशंसा पश्चात् झारखण्ड सरकार के अनुमोदन से निर्धारित की जायेगी।

सोसायटी के गठन पश्चात् नियुक्त कर्मियों पर सोसायटी द्वारा निर्धारित सेवा शर्तें लागू होंगी। जिन मामलों में सोसायटी द्वारा गठित सेवा शर्तों में प्रावधान नहीं किया गया हो अथवा जब तक

सोसायटी की सेवा शर्तें गठित नहीं होती हैं, तब तक झारखण्ड सरकार द्वारा अपने कर्मियों के लिए विहित सेवा शर्तें लागू होंगी।

6. समन्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त कण्डिका- 4 एवं 5 में निहित प्रस्ताव एवं राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के लिए सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 अंतर्गत सोसायटी गठित कर संचालन करने एवं इस निमित्त अनुलग्न प्रारूप, स्मृति पत्र/उप विधियाँ के आधार पर सोसायटी निबंधित करने से संबंधित संलेख ज्ञापांक-681, दिनांक-21.02.2024 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-16.03.2024 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-09 के रूप में स्वीकृति प्रदान किया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० श्रीनिवासन,
सरकार के सचिव।
